न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश – अष्टम्, गोपालगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 556/2026
गोपालगंज महिला थाना कांड संख्या – 39/2025

मंकेश्वर सिंह, पिता–ओसिहर सिंह, उम्र 32 वर्ष।
सा0–सरावे टोला मठिया, थाना–सिवान, जिला–सिवान .....आवेदक।

बनाम्

बिहार सरकार

.....विपक्षी।

आवेदक की तरफ से विद्वान अधिवक्ता –श्री रामकृपाल सिंह।
विपक्षी की तरफ से विद्वान अभियोजन पदाधिकारी –विद्वान, ए.पी.पी.।

उपस्थित– कुमार सुधान्शु

आदेश

11.06.2026

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त **मंकेश्वर सिंह** जो गोपालगंज महिला थाना कांड संख्या–39/2025 अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 85, 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/4 डी.पी. एक्ट का अभियुक्त है, की तरफ से दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक को दी जा चुकी है।

3. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि सूचिका रूबी देवी की शादी दिनांक–08.12.2020 को हिन्दु रीति–रिवाज के अनुसार अभियुक्त मंकेश्वर सिंह के साथ हुई थी। शादी में सूचिका के पिता ने बुलेट मोटरसाइकिल, 300000 X 2 लाख रुपया नकद, दस थान सोने का गहना तथा डेढ़ लाख रुपया का अन्य सामान उपहारस्वरूप दिया था। शादी पश्चात् जब सूचिका ससुराल आई तो प्राथमिकी नामजद अभियुक्तगण दहेज में बोलेरो गाड़ी या पांच लाख रुपया की मांग करने लगे। सूचिका के पति ने कहा जब तक तुम्हारे पिता मांग की पूर्ति नहीं करते हैं तो तुमसे हमारा कोई सम्बंध नहीं रहेगा। दिनांक–02.09.2025 को सूचिका का पति तथा प्राथमिकी नामजद अन्य अभियुक्तगण मिलकर सूचिका को लात–मुक्का से मारपीट किये तथा उसका पैसा छीन लिये एवं गला दबाकर हत्या करने की कोशिश किये। दिनांक–02.09.2025 को ही सूचिका का पति मंकेश्वर सिंह, सास धुरपातो देवी, भैसूर चन्द्रशेखर सिंह तथा भुषण सिंह सभी लोग सूचिका को जबरदस्ती बोलेरो गाड़ी में बैठाकर सूचिका के नइहर छोड़ दिये।

4. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक का इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही किसी वरीय न्यायालय में दाखिल है एवं न लम्बित है। आवेदक पर प्राथमिकी में जैसा आरोप लगाया गया है, उसके द्वारा

वैसी कोई घटना कारित नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

5. विद्वान लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया।

6. अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त पर आरोप है कि उसने अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका के साथ दहेज की मांग को लेकर गाली–गलौज किया तथा मांग की पूर्ति न होने पर जबरदस्ती सूचिका को उसके नइहर पहुंचा दिये। जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान अभिलेख सुलह समझौता हेतु मध्यस्थता केंद्र, गोपालगंज भेजा गया, जहां उभय पक्षों के बीच सुलह नहीं हो पाई। अभिलेख से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त पीड़िता का पति है जिस पर आरोप है कि उसने सूचिका से दहेज के रूप में बोलेरा गाड़ी या पांच लाख रुपया की मांग की। केस डायरी के पैरा 37 के अनुसार आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अन्वेषण के दौरान आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत नोटिस का विधिवत तामिला कराया गया था। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध धारा 126(2), 115(2), 85, 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।

Satendra Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation nad Another (2022) 10 SCR 351 तथा ***Md. Asfak Alam Vs. The State of Jharkhand & Anr passed in Criminal Appeal No (s). 2207 of 2023 arising out of Specail Leave Petition (CRL.) No. 3433 of 2023*** में दिये गये दिशा–निर्देश के आलोक में आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये कि आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्त **मंकेश्वर सिंह** के गिरफ्तार होने या आज की तिथि से चार सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने पर मो0 दस हजार रुपये (10000 X 2) का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने एवं विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि आवेदक अभियुक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482(2) के अधीन शर्तों का पालन करेंगे।

कार्यालय इस आदेश की एक प्रति सम्बंधित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित करे तथा आदेश को सी.आई.एस. पर अपलोड करे।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्,
गोपालगंज।